

2025/547

मि०पि

फर्द अहकाम

(नियम 15)

19.08.2025

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
कृष्ण कुमार आदि बनाम स्टेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 253 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.06.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.07.2025 को पेश हो।	
11.7.25	<p>वकुलार कसकन वास्थत/PU माफ. रजि. कर्य प्रत्यक्ष है। पत्रावली प्रकृत दिनांक 11.07.2025</p>	
11.8.2025	<p>वकुलार कसकन वास्थत/PU माफ. रजि. कर्य प्रत्यक्ष है। पत्रावली प्रकृत दिनांक 11.08.2025</p>	
19.8.2025	<p>वकुलार फरिडेन उपस्थित। स्टेट वाक्ता प्रकृत उक्त वाद सुनी गयी। प्रवावली का अवलोकन किया गया। प्रवावली पर उपबन्ध की कमी आई व तलबी नुसार पत्र की रिपोर्ट से आधर पर वाद जारी हिक्की किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शक्ति प्रकृत किया जाये। प्रवावली पर नम्बर से अम् की जाकर आउतरी प्रकृत जाकर दाखिल हुक्म हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

